रजिस्ट्री सं० डी०(डी)-73

REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 28, 1978/कार्तिक 6, 1900

No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28, 1978/KARTIKA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1978

का० नि० आ० 306—केन्द्रीय सरकार, रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि, जो कि पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में, वेरका में रेडियो रिले पायलन के समीप स्थित है, के प्रयोग तथा उपभोग पर उक्त अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन अधिरोपित करना आवश्यक है ताकि उक्त भूमि को भवनों तथा अन्य रुकावटों से मुक्त रखा जा सके।

2. उक्त भूमि की रूपरेखा का उपायुक्त, अमृतसर के कार्यालय में, निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

रक्षा संकर्म, अर्थात्, पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में, वेरका में रेडियो रिले पायलन के ग्राह्य मुंडेर के सिरे से 454.5 मीटर (पांच सौ गज) की दूरी के भीतर आने वाले क्षेत्र की सारी भूमि।

[सं० 17 (3)/78 डी० (जी० एस० I)]

हर मन्दर सिंह, संयुक्त सचिव (जी०)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 9th October, 1978

S.R.O. 396.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903) the Central Government hereby declares that it is necessary to impose the restrictions specified in clause (c) of section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule hereto annexed, being land lying in the vicinity of Radio Relay Pylton at Verka, in the District of Amritsar, in the State of Punjab, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Amritsar.

SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within a distance of 454.5 meters (five hundred yards) from the crest of the outer parpet of the work of defence, namely, the Radio Relay Pylon at Verka in the District of Amritsar, in the State of Punjab.

[No 17(3)/78/D(GS. I)]

HAR MANDER SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1978

का० नि० आ० 307:—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारी को, जो भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, निगमित प्राधिकरण के अधिकारी है और भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट, भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, जलाहल्ली, बंगलौर के सरकारी स्थानों की बाबत, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके

अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
मुख्य इंजीनियर	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड कालोनी जलाहल्ली, बंगलौर के भीतर भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के सरकारी स्थान।

[सं० 11 (12)/2/78/डी० (बी० ई० एल०)]

राज कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 12th October, 1978

S.R.O. 307.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer of the Bharat Electronics Limited, a corporate authority and being an officer equivalent to the rank of a gazetted officer of the Government of India to be estate officer for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction specified in column (2) of the said Table, in respect of the public premises belonging to the Bharat Electronics Limited, Jalahalli, Bangalore.

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
Chief Engineer	Public premises belonging to Bharat Electronics Ltd., within the Bel Colony, Jalahalli, Bangalore.

[No. 11(12)/2/78/D(BEL)]

RAJ KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1978

का० नि० आ० 308:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा सेवाओं में सिविलियनों को उनके लिए विशेषरूप से बनाए गए निवासस्थानों की बाबत निवास-स्थानों का आबंटन विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम सरकारी निवास-स्थान आबंटन (रक्षा सेवाओं में सिविलियनों के लिए रक्षा पूल आवास) नियम, 1978 है।

(2) ये नियम सैन्य इंजीनियरी सेवा के प्रधान कार्मिक और निःशुल्क आवास के हकदार कार्मिकों को छोड़कर रक्षा सेवा प्राक्कलन से वेतन पाने वाले उन सभी सिविलियनों को लागू होंगे जो रक्षा सेवाओं के सिविलियनी कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए निवास-स्थानों के आबंटन के मामले में सेना/नौसेना/वायुसेना स्थापनों में सेवा करते हैं।

(3) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएं:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "आबंटन" से इन नियमों के उपबंधों के अनुसार निवास स्थान के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति देना अभिप्रेत है;

(ख) "आबंटन वर्ष" से प्रथम जनवरी को आरम्भ होने वाला वर्ष या ऐसी अन्य अवधि अभिप्रेत है जो आबंटन प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए;

(ग) "आबंटन प्राधिकारी" से किसी सेवा विशेष, यथास्थिति, सेना, नौसेना या वायुसेना, के स्टेशन कमांडर या प्रशासन कमांडेंट या स्टेशन स्टाफ अफसर अभिप्रेत है;

(घ) "पात्र कार्यालय" से किसी स्टेशन में जिस को ये नियम लागू होते हैं, क्रमशः सेना, नौसेना या वायु सेना सेवा की कोई यूनिट या स्थापन अभिप्रेत हैं;

(ङ) "उपलब्धियों" से मूल नियम 45 ग में यथापरिभाषित उपलब्धियां अभिप्रेत है जिनमें नगर प्रतिकरात्मक भत्ते और रक्षा मंत्रालय के तारीख 13 फरवरी, 1969 के का० ज्ञा० संख्या 4(1) 69 डी० (सिवि०) के निबन्धों के अनुसार मंहगाई वेतन भी है।

स्पष्टीकरण:—निलम्बित अधिकारी के मामले में "उपलब्धियों" से वे उपलब्धियां मानी जाएंगी जो उसने उस आबंटन वर्ष के प्रथम दिन प्राप्त की हैं जिसमें वह निलम्बित किया गया है अथवा, यदि वह आबंटन वर्ष के प्रथम दिन ही निलम्बित किया गया है तो जो उसके द्वारा उस तारीख के ठीक पहले प्राप्त की गई हो;

(च) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, पत्नी अथवा पति और संतान, सौतेली संतान, वैध रूप से दत्तक ली गई संतान, माता-पिता, भाई अथवा बहनें जो सामान्यतया अधिकारी के साथ निवास करते हैं और जो उस पर आश्रित हैं।

(छ) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ज) "अनुज्ञप्ति फीस" से इन नियमों के अधीन आबंटित निवास-स्थान के संबंध में मासिक रूप से देय धनराशि अभिप्रेत है;

टिप्पणी:—रक्षा सेवाओं में सिविलियन (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973 के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान में 300 रु० प्रतिमास से कम उपलब्धियां पाने वाले अधिकारी, उसके 7½ प्रतिशत की दर पर और जिसकी उपलब्धियां 300 रु० प्रतिमास या उससे अधिक हैं वे उसके 10 प्रतिशत की दर पर या आवास विनिमय के पैरा 9 के अधीन निर्धारित किराया, जो भी कम हो, अदा करेंगे परन्तु पश्चातवर्ती स्थिति में अनुज्ञप्ति फीस घटाने के पश्चात् वह रकम 276.60 रु० प्रतिमास से कम नहीं होगी। अनुज्ञेय अवधि से अधिक अवधि के लिए निवास-स्थान के रखे जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति फीस बाजार दर पर निर्धारित की जाएगी।

(झ) "पूर्विकता तारीख" से, अधिकारी जिस प्रकार के निवास-स्थान का पात्र है उसके संबंध में, वह पूर्वतम तारीख अभिप्रेत है जब से वह, छुट्टी की अवधि के सिवाय, निरन्तर उतनी उपलब्धियां केन्द्रीय सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें अन्यत्र सेवा की अवधि सम्मिलित है, के अधीन किसी पद पर प्राप्त करता रहा है जो किसी विशिष्ट टाइप अथवा किसी उच्चतर टाइप के लिए सुसंगत है;

परन्तु टाइप 'ख' टाइप 'ग', या टाइप 'घ' निवास-स्थानों के संबंध में, वह तारीख जब से अधिकारी केन्द्रीय सरकार की सेवा में, जिसमें अन्यत्र सेवा की अवधि सम्मिलित है, निरन्तर रहा है, उस टाइप के लिए उसकी पूर्विकता तारीख होगी;

परन्तु यह और कि जहां दो या अधिक अधिकारियों की पुष्टिकता तारीख एक ही हो वहां उनके बीच ज्येष्ठता उपलब्धियों की राशि से अवधारित की जाएगी, अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अधिकारी को कम उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अधिकारी से अग्रता दी जाएगी और जहां उपलब्धियां समान हैं वहां सेवा-काल की दीर्घता से अवधारित की जाएगी किन्तु जहां सेवा में आने की तारीख वही हो वहां उनकी आयु या जन्म की तारीखों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

(क) 'निवास-स्थान' ऐसा निवास-स्थान अभिप्रेत है जो तत्समय आबंटन प्राधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में हो जिसकी ये नियम लागू होते है ।

(ख) 'स्टेशन' से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो यथास्थिति क्रमशः सेना, नौसेना, वायु सेना संबंधित सेवाओं के स्टेशन कमांडर की अधिकारिता में है ।

(ग) 'शिकमी देने' में किसी आबंटिती द्वारा अन्य व्यक्ति के साथ और अन्य व्यक्ति द्वारा किराये का संदाय करने पर अथवा किये बिना आवास-सुविधा का सहभोग करना सम्मिलित है ;

परन्तु निकट संबंधियों या मित्रों के साथ 30 दिन की अवधि तक आवास-सुविधा का सहभोग शिकमी देना नहीं समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण:—किसी आबंटिती द्वारा अपने निकट संबंधियों या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के साथ आवास सुविधा का सहभोग शिकमी देना नहीं समझा जायेगा यदि अधिकारी आबंटन प्राधिकारी को इस आशय की पूर्व सूचना देवे ।

(घ) 'अस्थायी स्थानान्तरण' से ऐसा स्थानांतरण अभिप्रेत है जिसमें अनुपस्थिति की अवधि तीन मास के अनधिक हो;

(ङ) 'स्थानान्तरण' से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन अथवा एक ही स्टेशन में किसी पात्र कार्यालय से अपात्र कार्यालय में स्थानान्तरण अभिप्रेत है और इसमें किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन सेवा का स्थानान्तरण अथवा प्रत्यावर्तन और किसी अपात्र कार्यालय अथवा संगठन से किसी पद पर प्रतिनियुक्ति भी सम्मिलित है;

(च) 'टाइप' से किसी अधिकारी के संबंध में निवास-स्थान का वह टाइप अभिप्रेत है जिसका वह पात्र है ।

पति और पत्नी को आबंटन, एक दूसरे से विवाहित अधिकारियों के मामलों में पात्रता—

(1) किसी अधिकारी को, यथास्थिति, जिसकी पत्नी या जिसके पति को पहले ही निवास-स्थान आबंटित किया जा चुका है, इस नियमों के अधीन कोई निवास-स्थान तब तक आबंटित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसा निवास-स्थान अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता :

परन्तु यह उप-नियम वहां नहीं लागू होगा जहां पति और पत्नी—

(क) भिन्न स्थानों में सैतान हो;

(ख) किसी न्यायालय द्वारा किये गये पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में पृथक-पृथक निवास कर रहे हैं।

(2) जहां दो अधिकारी, जो इन नियमों के अधीन एक ही सैनिक स्टेशन में पृथक रूप से आबंटित पृथक-पृथक निवास-स्थानों के अधिभोगी है, एक दूसरे से विवाह कर ले वहां वे विवाह के एक मास के भीतर उन निवास-स्थानों में से एक अभ्यर्पित कर देंगे ।

(3) यदि निवास-स्थान का अभ्यर्पण उपनियम (2) की अपेक्षानुसार नहीं किया जाता तो निम्नतर टाइप के निवास-स्थान का आबंटन उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर रद्द समझा जायेगा और यदि निवास-स्थान एक ही टाइप के हैं तो आबंटन प्राधिकारी के विनिश्चयानुसार उनमें से एक का आबंटन, ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द समझा जायेगा।

(4) जहां पति और पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार के अधीन पात्र कार्यालयों में नियोजित हों, वहां उनको इन नियमों के अधीन निवास-स्थान के आबंटन के हक पद स्वतन्त्र रूप से विचार किया जायेगा ।

4. निवासों-स्थानों का वर्गीकरण :—इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, अधिकारी नीचे दी गई सारणी में दर्शित टाइप के निवास-स्थान के आबंटन का पात्र होगा :—

निवास स्थान का टाइप	अधिकारी को जिस आबंटन वर्ष में आबंटन किया जाये उसके प्रथम दिन उसका प्रवर्ग अथवा उसकी मासिक उपलब्धियां
ए	259 रु० तक
बी	260 रु० से 499 रु० तक
सी	500 रु० से 999 रु० तक
डी	1000 रु० से 1499 रु० तक
ई	1500 रु० से और उससे अधिक

5. आबंटन के लिये आवेदन पत्र :

(1) किसी स्टेशन पर जहां रक्षा सेवाओं में सिविलियनों के लिये विशेष रूप से आवास स्थान बनाये गये हैं तैनात वे सभी अधिकारी जो ऐसे आवास स्थान के आबंटन के लिये पात्र है, आबंटन के लिये आवेदन-पत्र देंगे :

परन्तु आबंटन प्राधिकारी ऐसे अधिकारियों या उनके प्रवर्गों के जिन्हें एक आबंटन वर्ष के दौरान आवास स्थान आबंटित किये जाने की संभावना नहीं है साधारण आदेश द्वारा ऐसे आवास-स्थान के लिये आवेदन-पत्र देने से छूट दे सकेगा ।

(2) वह अधिकारी, जो प्रथम नियुक्ति पर या स्थानान्तरण पर किसी स्टेशन में पदभार ग्रहण करता है, अपना आवेदन अपने पदभार ग्रहण करने के एक मास के भीतर आबंटन प्राधिकारी को भेज सकेगा।

(3) उन्हीं आवेदनों पर जो किसी कैलेंडर मास की 20 तारीख को या उसके पूर्व उपनियम (2) के अधीन प्राप्त हों पश्चात्वर्ती मास में आबंटन के लिये विचार किया जायेगा ।

(4) टाइप 'ई' के निवास-स्थान के हकदार अधिकारी टाइप 'डी' के निवास-स्थान के आबंटन के लिये भी पात्र होंगे :

परन्तु ऐसा आबंटन नहीं किया जायेगा जब टाइप 'डी' के निवास-स्थानों के हकदार अधिकारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या ऐसे आबंटन के परिणामस्वरूप टाइप 'ई' के निवास-स्थान खाली न पड़े रहें ।

(5) वे अधिकारी जो वांछा करते हैं उपनियम (4) के अधीन आबंटन के लिये उन के बारे में विचार किया जाये आबंटन के लिये अपने आवेदन पत्र की प्रतियों में देंगे , जिसके न होने पर उस टाइप का निवास-स्थान जिसके लिये वे पात्र हैं, उनको आबंटित किये जाने पर किया जायेगा ।

टिप्पणी :—ठीक नीचे के टाइप के आवास स्थान के आबंटन के लिये पृथक आवेदन पत्र देना आवश्यक नहीं है और नियमित आवास स्थान के आबंटन के लिये आवेदन पत्र में ही वह अपना आशय प्रकट कर सकता है कि ठीक नीचे के आवास स्थान का आबंटन उसे स्वीकार्य है या नहीं।

6. निवास-स्थानों का आबंटन और प्रस्थापनायें :

(1) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी निवास-स्थान के खाली होने पर वह आबंटन प्राधिकारी द्वारा अधिमानतः उस आवेदक को आबंटित किया जायेगा जो उस टाइप को आवास-सुविधा का परिवर्तन चाहता है और, यदि उस प्रयोजन के लिये अपेक्षित न हो तो, उस आवेदक को आबंटित किया जायेगा जिसके पास उस टाइप की आवास-सुविधा नहीं है और जिसको उस टाइप के निवास-स्थान के लिये पूर्विकता तारीख पूर्वतम हो। यह आबंटन निम्नलिखित शर्तों पर होगा, अर्थात्:—

(i) आबंटन प्राधिकारी उस टाइप के उच्चतर टाइप का निवास-स्थान आबंटित नहीं करेगा जिसका आवेदक पात्र है;

(2) आबंटन प्राधिकारी किसी आवेदक को इस बात के लिये विवश नहीं करेगा कि वह जिस टाइप के निवास-स्थान का वह पात्र है उससे निम्नतर टाइप का निवास-स्थान स्वीकार करे।

(3) आबंटन प्राधिकारी, टाइप 'ई' निवास-स्थान के पात्र किसी आवेदक से टाइप 'डी' निवास-स्थान के आबंटन के लिये उसकी प्रार्थना पर उसे टाइप 'डी' निवास स्थान आबंटित कर सकता है जिसके लिये आवेदक अपनी पूर्विकता तारीख के आधार पर उसके लिये पात्र है।

(2) यदि किसी अधिकारी के अभिभोगाधीन निवास-स्थान को खाली कराना अपेक्षित हो तो आबंटन प्राधिकारी उस अधिकारी का विद्यमान आबंटन रद्द कर सकता है और उसे उसी टाइप का अनुकल्पी निवास स्थान आबंटित कर सकता है, अथवा अत्यावश्यकता की स्थिति में, उस अधिकारी के अधिभोगाधीन के निवास स्थान के टाइप से ठीक निम्नतर टाइप का अनुकल्पी निवास स्थान आबंटित कर सकता है।

(3) खाली निवास-स्थान को, उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन किसी अधिकारी को आबंटित किये जाने के अतिरिक्त, अन्य पात्र अधिकारियों को उनकी पूर्विकता तारीखों के क्रम से, आबंटन के लिये प्रस्थापित किया जा सकता है।

7. आबंटन या प्रस्थापना का स्वीकार न किया जाना अथवा आबंटित निवास स्थान को स्वीकार करने के पश्चात् अधिभोग में न लेना :

(1) यदि कोई अधिकारी किसी निवास-स्थान का आबंटन, आबंटन-पत्र की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर स्वीकार नहीं करता है अथवा स्वीकार करने के बाद भी आठ दिन के भीतर उस निवास-स्थान का कब्जा नहीं लेता है तो वह उस आबंटन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि पर्यन्त दूसरे आबंटन का पात्र न होगा।

(2) यदि किसी अधिकारी को, जिसके अधिभोगाधीन किसी निम्नतर टाइप का निवास स्थान है, ऐसे टाइप का निवास स्थान आबंटित या प्रस्तावित किया जाता है जिसके लिए वह नियम 4 के अधीन पात्र है या उसके लिए उसने नियम 6 के उपनियम (1) के खंड (iii) के अधीन आवेदन किया है तो उसे, उक्त आबंटन को या आबंटन की प्रस्थापना को अस्वीकार कर देने पर, पहले आबंटित निवास स्थान में रहने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञात किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) ऐसा अधिकारी आबंटन-पत्र की तारीख से छः मास की अवधि के लिए उच्चतर श्रेणी के आवास स्थान के दूसरे आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा;

(ख) विद्यमान निवास स्थान रखे रहने के दौरान उस पर वही अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाएगी, जो उसे इस प्रकार आबंटित या प्रस्थापित निवास स्थान के लिए संदत्त करनी पड़ती अथवा वह अनुज्ञप्ति फीस जो उस निवास स्थान के लिए देय है जो पहले ही उसके अधिभोग में है, दोनों में से जो भी अधिक हो।

8. आबंटन प्रभावी रहने की अवधि, और तत्पश्चात् कब्जा बनाए रखने की रियायती अवधि :

(1) आबंटन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है और तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि—

(क) अधिकारी के उस स्टेशन में किसी पात्र कार्यालय में कर्तव्यारूढ़ न रह जाने के पश्चात् वह रियायती अवधि समाप्त नहीं हो जाती जो उपखंड (2) के अधीन अनुज्ञेय है;

(ख) आबंटन, आबंटन-प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या इन नियमों के किसी उपबंध के अधीन रद्द किया गया नहीं समझा जाता;

(ग) आबंटन अधिकारी द्वारा अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता; या

(घ) अधिकारी निवास स्थान का अधिभोग समाप्त नहीं कर देता।

(2) अधिकारी, उसे आबंटित निवास स्थान को, उपनियम (3) के अधीन रहते हुए निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से किसी के होने पर उस अवधि-पर्यन्त, अपने पास रख सकता है जो उस सारणी के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं; परन्तु यह तब जब कि वह निवास-स्थान अधिकारी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के वास्तविक उपयोग के लिए अपेक्षित हो।

सारणी

घटनाएं	निवास स्थान अपने पास रखने को अनुज्ञेय अवधि
1	2
(1) पदत्याग, पदच्युति या सेवा से हटाया जाना, सेवा का पर्यवसान अथवा बिना अनुज्ञा के अप्राधिकृत अनुपस्थिति।	1 मास
(2) सेवा-निवृत्ति या सेवान्त छुट्टी, जहां नीचे (9) में निर्दिष्ट निवृत्ति-पूर्व छुट्टी न ली गई हो।	2 मास
(3) आबंटितों की मृत्यु	4 मास
(4) किसी दूसरे सैन्य स्टेशन को स्थानान्तरण; परन्तु यह तब जबकि ड्यूटी के नए स्टेशन पर सरकारी आवास-सुविधा उपलब्ध न हो और स्थानान्तरण की तारीख से 45 दिन के भीतर अनउपलब्धि प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।	2 मास

1	2
(5) उसी स्टेशन में किसी अपील कार्यालय को स्थानान्तरण	2 मास
(6) भारत में अन्यत्र सेवा पर जाना	2 मास
(7) भारत में अस्थायी स्थानान्तरण अथवा भारत से बाहर किसी स्थान के लिए स्थानान्तरण	3 मास
(8) छुट्टी (जो निवृत्ति-पूर्व छुट्टी, अस्वीकृत छुट्टी, सेवांत छुट्टी, चिकित्सीय छुट्टी या अध्ययनार्थ छुट्टी से भिन्न हो)	छुट्टी की अवधिपर्यन्त किन्तु चार मास से अनधिक ।
(9) निवृत्ति-पूर्व छुट्टी या पूरे केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 38 के अधीन दी गई अस्वीकृत छुट्टी	औसत वेतन पर छुट्टी की पूर्ण अवधिपर्यन्त, किन्तु चार मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, इसमें सेवानिवृत्ति की दशा में अनुज्ञेय अवधि भी सम्मिलित है ।
(10) भारत से बाहर अध्ययनार्थ छुट्टी या प्रतिनियुक्ति	छुट्टी की अवधिपर्यन्त, किन्तु छः मास से अधिक नहीं ।
(11) भारत में अध्ययनार्थ छुट्टी	छुट्टी की अवधिपर्यन्त, किन्तु छः मास से अधिक नहीं ।
(12) चिकित्सीय आधार पर छुट्टी	छुट्टी की पूर्ण अवधिपर्यन्त किन्तु आठ मास से अधिक नहीं ।
(13) अनुदेशन/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर जाने पर	तीन मास
(14) बच्चों के शैक्षिक वर्ष के मध्य में स्थानान्तरण	निर्धारित किराए की दुगनी राशि अदा करने पर दो मास की अनुज्ञेय अवधि के पश्चात् छः मास तक या उनके बच्चों के विद्यालय या महाविद्यालय के शैक्षिक वर्ष के अन्त तक इनमें से जो भी पहले हो ।

स्पष्टीकरण 1 : जब भारत में स्थानान्तरण होने या अन्यत्र सेवा में जाने पर किसी अधिकारी की कोई छुट्टी मंजूर की जाती है और वह नए कार्यालय में पदभार ग्रहण करने से पूर्व उस छुट्टी का उपभोग करता है तो उसे मद (4), (5), (6) और (7) के सामने वर्णित अवधि के लिए या छुट्टी की अवधि के लिए, अधिक से अधिक दो मास की अवधि तक निवास स्थान रखे रहने की अनुज्ञा दी जा सकती है ।

2: जब भारत में स्थानान्तरण या अन्यत्र सेवा संबंधी कोई आदेश किसी अधिकारी को तब जारी किया जाता है जब वह पहले से ही छुट्टी पर है तो स्पष्टीकरण-1 के अधीन अनुज्ञेय अवधि ऐसा आदेश जारी करने की तारीख से गिनी जाएगी ।

3: जब कोई निवास-स्थान उपनियम (2) के अधीन रखा गया तो अनुज्ञेय रियायती अवधियों की समाप्ति पर वह आवंटन, सिवाय उस दशा के जब उन अवधियों की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् वह अधिकारी उसी स्टेशन में किसी पात्र कार्यालय में कर्त्तव्य-भार ग्रहण कर लेता है, रद्द किया गया समझा जाएगा ।

4: जब कोई अधिकारी बिना वेतन और भत्तों के चिकित्सीय छुट्टी पर हो तो वह उपनियम (2) के नीचे दी गई सारणी की मद संख्या (12) के अधीन दी गई रियायत के आधार पर अपने निवास-स्थान को अपने पास रख सकता है परन्तु यह तब जब वह ऐसे निवास-स्थान के लिए अनुज्ञप्ति फीस प्रतिमास नकद भेजता रहता है और ऐसी फीस दो मास से अधिक तक न भेजने की दशा में आवंटन रद्द समझा जाएगा ।

5: जिस अधिकारी ने उपनियम (2) के नीचे दी गई सारणी की मद (1) या मद (2) के अधीन रियायत के आधार पर निवास-स्थान अपने पास रखा है, वह किसी पात्र कार्यालय में, उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पुनर्नियोजित होने पर इस बात का हकदार होगा तथा वह इन नियमों के अधीन निवास स्थान के किसी और आवंटन का भी पात्र होगा :

परन्तु यदि पुनर्नियोजन होने पर, अधिकारी की उपलब्धियाँ उसे उस टाइप के निवास स्थान का हकदार नहीं बनातीं जो उसके अधिभोग में है, तो उसे तत्पश्चात् उसका निवास-स्थान आवंटित किया जाएगा ।

6: उप-नियम (2) या उपनियम (3) या उपनियम (5) में किसी बात के होते हुए भी, जब कोई अधिकारी पदच्युत किया जाता है या सेवा से हटाया जाता है या जब उसकी सेवा पर्यवसित हो जाती है तथा उस कार्यालय एकक के, जिसमें ऐसा अधिकारी ऐसी पदच्युति, हटाए जाने या पर्यवसान से ठीक पूर्व नियोजित था, प्रधान का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है तो वह आवंटन प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसे अधिकारी को किए गए निवास-स्थान का आवंटन या तो तुरन्त रद्द कर दे या उसके द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उस तारीख से रद्द कर दे जो उपनियम (2) के नीचे दी गई सारणी की मद (1) में निर्दिष्ट एक मास की अवधि की समाप्ति से पूर्वतर है तथा आवंटन प्राधिकारी तदनुसार कार्रवाई करेगा ।

9. अनुज्ञप्ति फीस सम्बन्धी उपबन्ध :

(1) जब आवास-सुविधा या अनुकल्पी आवास-सुविधा का आवंटन स्वीकार कर लिया जाए तो अनुज्ञप्ति फीस का दायित्व अधिभोग की तारीख से अथवा आवंटन की प्राप्ति की तारीख के आठवें दिन से, जो भी पूर्वतर हो, प्रारम्भ होगा ।

(2) जो अधिकारी आवंटन स्वीकार करने के पश्चात् उस आवास-सुविधा का कब्जा आवंटन पत्र की प्राप्ति की तारीख से आठ दिन के भीतर नहीं लेता उससे उस तारीख से एक महीने की अवधि या उस आवास-सुविधा का पुनः आवंटन हो जाने की तारीख तक इनमें से जो भी पहले हो, अनुज्ञप्ति फीस ली जाएगी ।

(3) जहाँ एक निवास-स्थान के अधिभोगी किसी अधिकारी को दूसरा निवास-स्थान आवंटित किया जाता है और वह नए निवास-स्थान पर अधिभोग प्राप्त कर लेता है तो पहले निवास-स्थान का आवंटन नए निवास-स्थान का अधिभोग प्राप्त करने की तारीख से रद्द समझा जाएगा किन्तु, वह पहले निवास-स्थान को, उस दिन तथा उसके पश्चातवर्ती दिन तक, बिना अनुज्ञप्ति फीस दिए, अपने पास रख सकता है ।

10. निवास-स्थान के खाली किए जाने तक अधिकारी का अनुज्ञप्ति फीस देने का वैयक्तिक दायित्व तथा अस्थायी अधिकारियों द्वारा प्रतिभू किया जाना :

(1) जिस अधिकारी को निवास-स्थान का आवंटन किया जाए उस पर उसकी अनुज्ञप्ति फीस का तथा उस नुकसान का दायित्व होगा जो उचित टूट-फूट के अतिरिक्त उस निवास-स्थान को अथवा सरकार द्वारा उसमें दिए गए फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग या सेवा व्यवस्था को उस अवधि के दौरान पहुंचाता है जब निवास-स्थान उसे आवंटित रहा है और रहता है या जहाँ आवंटन इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द कर दिया गया हो वहाँ, जब तक निवास-स्थान तथा उससे संलग्न उपगृह यदि कोई हो, खाली करके उनका पूर्णतः खाली रूप में कब्जा सरकार को प्रत्यावर्तित नहीं कर दिया जाता ।

(2) जहां वह अधिकारी जिसे निवास-स्थान आवंटित किया गया है न तो स्थायी सरकारी सेवक है और न स्थायीवत्, वहां वह एक प्रतिभू सहित, जो सरकार के अधीन सेवा करने वाला स्थायी सरकारी सेवक होगा सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्ररूप में, प्रतिभूति पत्र निष्पादित करेगा। यह प्रतिभूति-पत्र अनुज्ञप्ति फीस तथा अन्य ऐसे प्रभारों के संदाय के लिए होगा जो उस निवास-स्थान और अन्य सेवाओं की बाबत तथा उसके बदले में दिए गए किसी अन्य निवास-स्थान की बाबत उसके द्वारा देय हों।

(3) यदि प्रतिभू सरकारी सेवा में नहीं रह जाता या दिवालिया हो जाता है या अपनी गारन्टी वापस ले लेता है या किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं रह जाता है तो अधिकारी किसी अन्य प्रतिभू द्वारा निष्पादित एक नया बंधपत्र घटना या तथ्य की जानकारी होने के 30 दिन के भीतर देगा; और यदि वह ऐसा न करे तो जब तक आवंटन प्राधिकारी अन्यथा विनिश्चित न करे उस निवास-स्थान का उसे आवंटन उस घटना की तारीख से रद्द किया गया समझा जाएगा।

11. आवंटन का अभ्यर्पण और सूचना की अवधि :

(1) अधिकारी ऐसी सूचना देकर, जो निवास-स्थान को खाली करने की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व आवंटन प्राधिकारी के पास पहुंच जाए, किसी भी समय आवंटन को अभ्यर्पित कर सकता है। निवास-स्थान का आवंटन उस दिन के पश्चात् जिसको पत्र आवंटन प्राधिकारी को प्राप्त होता है, ग्यारहवें दिन से या पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, रद्द किया गया समझा जाएगा। यदि अधिकारी सम्यक् सूचना न दे तो वह दस दिन की अथवा दस दिन की सूचना देने में जितने दिन की कमी हो, उतने दिन की अनुज्ञप्ति फीस देने के लिए उत्तरदायी होगा, परन्तु आवंटन प्राधिकारी कम अवधि की सूचना को स्वीकार कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन निवास-स्थान अभ्यर्पित करने वाले अधिकारी के सम्बन्ध में, उसी स्टेशन पर सरकारी आवास सुविधा के आवंटन करने के लिए, ऐसे अभ्यर्पण की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

12. निवास-स्थान का परिवर्तन :

(1) जिस अधिकारी को इन नियमों के अधीन निवास-स्थान का आवंटन किया गया है वह आवेदन आवास स्थान पर कब्जे की आरम्भिक तारीख से छः मास के पश्चात् कर सकता है कि उसको उसके बदले में उसी टाइप का अथवा उस टाइप का जिसका वह पात्र नियम 4 के अधीन है, जो भी निम्नतर हो, निवास-स्थान दिया जाए। किसी अधिकारी को आवंटित एक टाइप के निवास-स्थान की बाबत केवल एक बार से अधिक परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(2) परिवर्तन के लिए वे सब आवेदन जो आवंटन प्राधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में किए गए हों और किसी कैलेण्डर मास के उन्नीसवें दिन तक प्राप्त हों अगले मास की प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। इस नियम के प्रयोजनों के लिए वे अधिकारी जिनके नाम पूर्ववर्ती मास की प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किए गए हों, समुच्चयित रूप से उन अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे जिनके नाम पश्चात्वर्ती मास की सूची में सम्मिलित किए जाते हैं। किसी विशिष्ट मास की सूची में सम्मिलित किए गए अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता उनकी पूर्विकता तारीखों के क्रम से अवधारित की जाएगी।

(3) परिवर्तन उपनियम (2) के अनुसार अवधारित ज्येष्ठता के क्रम से तथा यावतसाध्य अधिकारियों के अधिमान ध्यान में रखते हुए प्रस्थापित किया जाएगा।

(4) यदि कोई अधिकारी, उसे प्रस्थापित निवास-स्थान का परिवर्तन, आवंटन पत्र जारी किए जाने के पाँच दिन के भीतर स्वीकार नहीं करता तो उसके नाम पर, उस टाइप के निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

(5) जो अधिकारी, निवास-स्थान का परिवर्तन स्वीकार करने के पश्चात् उसका कब्जा नहीं लेता, उससे ऐसे निवास-स्थान के लिए जो पहले ही उसके कब्जे में है और जिसका आवंटन बराबर बना रहेगा, सामान्य अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त, अप्राधिकृत अधिभोगियों पर किराए की बाजार दर पर अनुज्ञप्ति फीस ली जाएगी जो अधिकारी 300 रु० और इससे अधिक प्रतिमाह वेतन ले रहा है उसकी दशा में वेतन का 10 प्रतिशत और 300 रु० प्रतिमास से कम वेतन लेने वाले अधिकारियों की दशा में 7-1/2 प्रतिशत की दर से अनुज्ञप्ति फीस ली जाएगी।

13. कुटुम्ब के सदस्य की मृत्यु होने की दशा में निवास-स्थान का परिवर्तन :

नियम 12 में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी अधिकारी के कुटुम्ब के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और वह निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए आवेदन ऐसी घटना के तीस मास के भीतर करता है तो उसे निवास-स्थान के परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकती है, परन्तु यह परिवर्तन उसी टाइप के निवास-स्थान में तथा उसी मंजिल पर होगा जिस टाइप का निवास-स्थान उस अधिकारी को पहले से आवंटित है।

14. निवास-स्थानों का पारस्परिक विनिमय :

जिन अधिकारियों को इन नियमों के अधीन एक ही टाइप के निवास-स्थान आवंटित किए गए हैं, अपने निवास-स्थानों के पारस्परिक विनिमय करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब इस बात को युक्तियुक्त तौर पर प्रत्याशा हो कि दोनों अधिकारी ऐसे विनिमय के अनुमोदन की तारीख से कम-से-कम छह मास तक एक ही स्टेशन पर कर्तव्यारूढ़ होंगे और पारस्परिक रूप से विनिमय किए गए अपने निवास-स्थानों में रहेंगे तो पारस्परिक विनिमय की अनुज्ञा दी जा सकती है।

15. निवास-स्थान का अनुरक्षण :

जिस अधिकारी को निवास-स्थान का आवंटन किया गया है वह उसे और परिसरों, को यथास्थिति, को सैन्य इंजीनियरी सेवा और छावनी बोर्ड या किसी अन्य नागरिक निकाय, के समाधानप्रद रूप से साफ दशा में रखेगा। ऐसा अधिकारी उस निवास-स्थान से संलग्न किसी बाग, आँगन या चारदिवारी में न तो उक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के विरुद्ध कोई वृक्ष, झाड़ी या पौधे उगाएगा और न ही किसी विद्यमान वृक्ष, या झाड़ी को पूर्वोक्त प्राधिकारियों की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना काटेगा या छांटेगा। इस नियम के उल्लंघन में उगाए गए वृक्ष, पौधे या वनस्पति, संबंधित अधिकारी को जोखिम पर और उसके खर्च पर आवंटन प्राधिकारी द्वारा हटाए जा सकेंगे। सरकारी निवास-स्थान के परिसर में पशु, कुत्ते और कुक्कुट-पालन के लिए अधिकारी के आवंटन प्राधिकारी और स्थानीय नागरिक निकाय से पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी।

16. निवास स्थान को शिकमी देना और सहभोग :

(1) कोई अधिकारी अपने को आवंटित निवास-स्थान या उससे संलग्न उपगृहों, गैराजों और अस्तबलों का सहभोग, निवास-स्थान के आवंटन के पात्र सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी से नहीं करेगा। सेवा-निवासों (या क्वार्टरों), उपगृहों, गैराजों और अस्तबलों का उपयोग केवल उचित प्रयोजनों के लिए, जिनमें आवंटिती के सेवकों का निवास भी सम्मिलित है, या अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनकी आवंटन प्राधिकारी अनुज्ञा दे।

(2) कोई अधिकारी अपने सम्पूर्ण निवास-स्थान को शिकमी नहीं देगा:

परन्तु छुट्टी पर जाने वाला अधिकारी अपने निवास-स्थान में किसी अन्य अधिकारी को जो सरकारी आवास-सुविधा का सहभोग करने के लिए उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन पात्र है, रखवाल के रूप में छुट्टी की अवधि पर्यन्त, किन्तु छः मास से अधिक नहीं, रख सकता है।

(3) जो अधिकारी अपने निवास-स्थान का सहभोग करे या उसे शिकमी दे वह ऐसा अपनी जोखिम और उत्तरदायित्व पर करेगा और उस निवास-स्थान की बाबत देय कोई अनुज्ञप्ति फीस देने के लिए और ऐसे किसी नुकसान के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी बना रहेगा जो निवास-स्थान को या उसकी सीमाओं या भूमियों के या सरकार द्वारा उसमें दी गई सेवा व्यवस्थाओं को पहुंचे और जो उचित टूट-फूट के अतिरिक्त हों।

17. नियमों और शर्तों को भंग करने के परिणाम :

(1) यदि वह अधिकारी जिसे निवास-स्थान आबंटित किया गया है, अप्राधिकृत रूप से निवास-स्थान शिकमी देता है या सहभोगी पर ऐसे दर से अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित करता है जिसे आबंटन प्राधिकारी अत्यधिक समझता है अथवा निवास स्थान के किसी भाग में कोई अप्राधिकृत निर्माण करता है अथवा निवास-स्थान या उसके किसी भाग का उपयोग उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए करता है जिनके लिए वह है अथवा विद्युत या जल के कनेक्शन को बिगाड़ता है अथवा इन नियमों या आबंटन के निबन्धनों और शर्तों को भंग करता है अथवा किन्हीं ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें आबंटन प्राधिकारी अनुचित समझे, निवास-स्थान या परिसर का उपयोग करता है अथवा स्वयं ऐसा व्यवहार करता है जो आबंटन प्राधिकारी की राय में उस अधिकारी के पड़ोसियों से शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, अथवा आबंटन प्राप्त करने की दृष्टि से किसी आवेदन या लिखित कथन में कोई गलत जानकारी जानबूझकर देता है, तो आबंटन प्राधिकारी उस अनुशासनिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसे अधिकारी के विरुद्ध की जाए, निवास-स्थान का आबंटन रद्द कर सकता है।

स्पष्टीकरण :—इस उपनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "अधिकारी" पद के अन्तर्गत उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य और ऐसे अधिकारी के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है।

(2) यदि कोई अधिकारी अपने को आबंटित निवास-स्थान को या उसके किसी भाग को या उससे संलग्न किसी उपगृह, गैरेज या अस्तबल को इन नियमों का उल्लंघन करके शिकमी देता है तो, ऐसी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, उससे उतनी बंधित अनुज्ञप्ति फीस ली जा सकती है जो मानक अनुज्ञप्ति फीस के चार गुना से अधिक न हो। प्रत्येक मामले में इस बात का विनिश्चय कि कितनी अनुज्ञप्ति फीस वसूल की जाए और किस अवधि के लिए वसूल की जाए आबंटन प्राधिकारी गुणावगुण के आधार पर करेगा। इसके अतिरिक्त, उस अधिकारी को भविष्य में ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि पर्यन्त, जो आबंटन प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएगी, निवास-स्थान का सहभोग करने से विवर्जित किया जा सकता है।

(3) जहां आबंटिती द्वारा परिसर के अप्राधिकृत रूप से शिकमी दिए जाने के कारण आबंटन रद्द करने की कार्रवाई की जाती है वहां आबंटिती तथा उसके साथ उसमें निवास करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को परिसर खाली करने के लिए साठ दिन का समय दिया जाएगा। परिसर खाली किए जाने की तारीख या आबंटन रद्द करने का आदेश की तारीख से, साठ दिन की अवधि समाप्त होने पर, जो भी पूर्वतर हो, आबंटन रद्द कर दिया जाएगा।

(4) जहां निवास-स्थान का आबंटन ऐसे आचरण के कारण रद्द किया जाए जो पड़ोसियों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो वहां, उस अधिकारी को आबंटन प्राधिकारी के विवेकानुसार उसी वर्ग का अन्य निवास-स्थान किसी अन्य स्थान में आबंटित किया जा सकता है।

(5) आबंटन प्राधिकारी इस नियम के उपनियम (1) से (4) तक के अधीन सभी कार्रवाइयां या कोई कार्रवाई करने के लिए, तथा ऐसे अधिकारी को, जो इन नियमों तथा उसको जारी किए गए अनुदेशों को भंग करता है, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए आवास-सुविधा के आबंटन के लिए अपात्र घोषित करने के लिए सक्षम होगा।

18. आबंटन के रद्द किए जाने के पश्चात् निवास-स्थान में बने रहना :

जहां कोई आबंटन, इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द किया गया है या रद्द कर दिया गया समझा जाता है और तत्पश्चात् वह निवास-स्थान उस अधिकारी के, जिसे वह आबंटित किया गया हो या उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के अधिभोग में बना रहता है या बना रहा हो, वहां ऐसा अधिकारी उस निवास-स्थान, सेवाओं, फर्नीचर और बाग-प्रभारों के उपयोग और अधिभोग के लिए उतनी नुकसानी देने के लिए दायी होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित बाजार अनुज्ञप्ति फीस के बराबर हो। इसके अतिरिक्त, आबंटिती को सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) के अधीन बेदखल किया जा सकेगा।

19. इन नियमों के जारी किए जाने के पहले किए गए आबंटनों का बना रहना :

निवास-स्थान का विधिमान्य आबंटन जो तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व अस्तित्व में था, इस बात के होते हुए भी कि वह अधिकारी जिसे वह आबंटन किया गया हो, नियम 4 के अधीन उस टाइप के निवास-स्थान का हकदार न हो सम्यक् रूप से किया गया आबंटन समझा जाएगा और उस आबंटन और उस अधिकारी के सम्बन्ध में इन नियमों के सभी पूर्ववर्ती उपबंध तदानुसार लागू होंगे।

20. कतिपय मामलों में कतिपय नातेदारों को आबंटन :

(1) जब कोई सरकारी सेवक, जिसे सरकारी आवास आबंटित किया गया है सेवानिवृत्त होता है या सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र, उसकी पुत्री, पत्नी, उसके पति या पिता को तदर्थ आधार पर सरकारी आवास आबंटित किया जा सकेगा परन्तु यह कि उक्त नातेदार सरकारी सेवक हो जो सरकारी आवास का पात्र हो और सेवानिवृत होने वाले या मृत अधिकारी को सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख से कम-से-कम छः मास पूर्व से उसके साथ सरकारी आवास का सहभोगी रहा हो।

(2) यदि उसका नातेदार उस टाइप या उस से उच्चतर टाइप के निवास-स्थान के लिए पात्र है तो वही निवास-स्थान उसके नाम पर विनियमित किया जा सकता है। अन्य मामलों में उक्त नातेदार को उस टाइप का जिसका वह हकदार है निवास-स्थान यदि उस समय उपलब्ध हो, आबंटित किया जा सकता है अथवा उसके उपलब्ध न होने पर उससे ठीक निम्नतर टाइप का निवास-स्थान यदि आबंटिती को स्वीकार्य हो तो आबंटित किया जा सकता है।

(3) जहां आवास-स्थान रक्षा सिविलियनों के लिए विशेष रूप से न बनाए गए हों वहां मृत सरकारी सेवक के पुत्र या पुत्री या पत्नी या पति या पिता को आवास-स्थान का आबंटन इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाएगा कि वह हकदार सैनिक कामिकों को आवश्यकता के अतिरिक्त है।

21. नियमों का निर्वचन :

यदि इन नियमों के निर्वचन की बाबत कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जाएगा।

22. नियमों का शिथिलीकरण :

सरकार ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे इन नियमों के सभी उपबन्धों को या उनमें से किसी को किसी अधिकारी या निवास-स्थान या अधिकारियों के किसी वर्ग या निवास-स्थानों के किसी टाइप के बारे में शिथिल कर सकेगी।

23. शक्तियों या कृत्यों का प्रत्यायोजन :

सरकार, इन नियमों द्वारा उसे प्रदत्त कोई शक्ति या सभी शक्तियां अपने नियंत्रणाधीन किसी अधिकारी को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगी जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे।

[फाइल संख्या एफ० 10/48/77/रक्षा (आवास)]
पी० एस० रत्नम, उप सचिव (डब्ल्यू)

New Delhi, the 17th October, 1978

S.R.O. 308.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the allotment of residences to the civilians in Defence Services, in respect of residences specifically constructed for them, namely :—

1. Short title, application and commencement.—(1) These rules may be called the Allotment of Residences (Defence Pool Accommodation for Civilians in Defence Services) Rules, 1978.

(2) They shall apply to all civilians paid from Defence Services Estimates, other than Military Engineering Service key personnel and those entitled to rent free accommodation, serving with the Army/Navy/Air Force establishments in the matter of allotment of residences specifically constructed for civilian employees in Defence Services.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Allotment" means the grant of a licence to occupy a residence in accordance with the provisions of these rules ;

(b) "Allotment year" means the year beginning on the 1st January or such other period as may be notified by the Allotting Authority;

(c) "Allotting Authority" means the Station Commander or the Admin Comdt. or the Station Staff Officer of the particular Service—Army, Navy or Air Force as the case may be.

(d) "Eligible Office" means any unit or establishment of the respective service Army, Navy or Air Force in a station in which these rules apply;

(e) "Emoluments" means the emoluments as defined in Fundamental Rule 45-C including the city compensatory allowance and dearness pay in terms of the Ministry of Defence O.M. No. 4(1)/69/D9Civ-I), dated the 13th February 1969 ;

Explanation.—In the case of an officer who is under suspension, the emoluments drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension, or, if he is placed under suspension on the first day of the allotment year, the emoluments drawn by him immediately before that date shall be taken as emoluments;

(f) "Family" means the wife or husband, as the case may be, and children, step-children, legally adopted children, parents, brothers or sisters as ordinarily reside with and dependent on the officers;

(g) "Government" means the Central Government ;

(h) "Licence Fee" means the sum of money payable monthly in respect of a residence allotted under these rules;

Note :—Officers drawing emoluments less than Rs. 300 per month in the revised scales under Civilian in Defence Services (Revised Pay) Rules, 1973, shall pay at the rate of 7-1/2 per cent thereof and those drawing emoluments of Rs. 300 and above per month shall pay at the rate of 10 per cent thereof or the assessed rent under Para 9 of the Quartering Regulations, whichever is less, provided the amount after deduction of licence fee in the latter case shall not be less than Rs. 276.60 p.m. In case of retention of a residence beyond permissible period, licence fee shall be assessed at market rate;

(i) "Priority date" of an officer in relation to a type of residence to which he is eligible—means the earliest date from which he has been continuously drawing emoluments relevant to a particular type or a higher type in a post under the Central Government or Union Territory including the period of foreign service except for periods of leave ;

Provided that in respect of a type B, type C or type D residence, the date from which officer has been continuously in service under the Central Government including the periods of foreign service shall be his priority date for that type ;

Provided further that where the priority date of two or more officers is the same, seniority among them shall be determined by the amount of emoluments the officer in receipt of higher emoluments taking precedence over the officer in receipt of lower emoluments and where the emoluments are equal, by the length of service but where the date of joining service is the same, by their age or dates of birth ;

(j) "Residence" means any residence for the time being under the administrative control of the allotting authority to which these rules apply ;

(k) "Station" means the area under the jurisdiction of a Station Commander of the respective Service, Army, Navy or Air Force as the case may be ;

(l) "Subletting" includes sharing of accommodation by an allottee with another person with or without payment of rent by such other person ;

Provided that sharing of accommodation by relatives or friends upto a period of 30 days shall not be deemed as subletting ;

Explanation.—Any sharing of accommodation by an allottee with close relations or Central Government employees shall not be deemed to be subletting in case prior intimation to this effect is given by the officer to the allotting authority ;

(m) "Temporary Transfer" means a transfer which involves an absence for a period not exceeding three months ;

(n) "Transfer" means a transfer from one station to another station or from an eligible office to an ineligible office in the same station and includes a transfer or reversion to service under a State Government or Union Territory Administration and also deputation to a post in an ineligible office or organisation ;

(o) "Type" in relation to an officer means the type of residence to which he is eligible.

3. Allotment to husband and wife, eligibility in cases of officers who are married to each other.—(1) No officer shall be allotted a residence under these rules if the wife or the husband, as the case may be, of the officer has already been allotted a residence, unless such residence is surrendered :

Provided that this sub-rule shall not apply where the husband and wife—

(a) are posted in different stations ;

(b) are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court.

(2) Where two officers in occupation of separate residences allotted under these rules in the same military station marry each other, they shall, within one month of the marriage, surrender one of the residence.

(3) If a residence is not surrendered as required by sub-rule (2), the allotment of the residence of the lower type shall be deemed to have been cancelled on the expiry of the period specified in sub-rule (2) and if the residences are of the same type, the allotment of such one of them, as the allotting authority may decide, shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

(4) Where both the husband and the wife are employed in eligible offices, under the Central Government, the title of them to allotment of a residence under these rules shall be considered independently.

4. Classification of residences.—Save as otherwise provided by these rules, an officer shall be eligible for allotment of residence of the type shown in the table below :

Type of Residence	Category of officer or his monthly emoluments as on the first day of the allotment year in which the allotment is made :
A	upto Rs. 259/—
B	Rs.260 — 499/—
C	Rs.500 — 999/—
D	Rs.1000—1499/—
E	Rs.1500 — and above.

5. Application for allotment.—(1) All officers posted at a station where accommodation has been built specifically for civilians in Defence Services, who are eligible for the allotment of such accommodation, shall apply for allotment :

Provided that the Allotting Authority may by a general order exempt such officers or categories thereof as are unlikely to be allotted accommodation during an allotment year from applying for such accommodation.

(2) An officer joining duty at the station on first appointment or on transfer may submit his application to be Allotting Authority within a month of his joining duty.

(3) Applications received under sub-rule (2) on or before the 20th day of a calendar month shall alone be considered for allotment in the succeeding month.

(4) An officer entitled to residence of type E shall also be eligible for allotment of residence of type D :

Provided that such allotment shall not be made where interests of officers entitled to type B of residences are adversely affected or where residence of type E does not fall vacant as a result of such allotment.

(5) Officers who desire to be considered for allotment under sub-rule (4) shall submit their applications for allotment in duplicate, failing which they shall be considered for allotment of residence of the type to which they are entitled.

Note.—Applicant need not submit separate application for allotment of next below type accommodation and that he may make his intention in the application for allotment of regular accommodation whether allotment of lower type accommodtion is acceptable or not.

6. Allotment of residences and offers.—(1) Save as otherwise provided in these rules, a residence on falling vacant, will be allotted by the Allotting Authority preferably to an applicant desiring a change of accommodation in that type and if not required for that purpose to an applicant without accommodation in that type having the earliest priority date for that type of residence subject to the following conditions :—

(i) The Allotting Authority shall not allot a residence of a type higher than that to what the applicant is eligible.

(ii) The Allotting Authority shall not compel any applicant to accept a residence of lower type than that to what he is eligible.

(iii) The Allotting Authority on request from an applicant entitled to a residence of type E, for allotment of a type D residence, might allot to him a residence of type D for which the applicant is eligble on the basis of his priority date for the same.

(2) The Allotting Authority may cancel the existing allotment of an officer and allot to him an alternative residence of the same type or in emergent circumstances an alternative residence of the type next below the type of residence in occupation of the officer if the residence in occupation of the officer is required to be vacated.

(3) A vacant residence may, in addition to allotment to an officer under sub-rule (1) above, be offered simultaneously to other eligible officers in order to their priority dates.

7. Non-acceptance of allotment or offer or failure to ocupy the allotted residence after acceptance.—(1) If any officer fails to accept the allotment of a residence within five days or fails to take possession of that residence after acceptance within eight days from the date of receipt of the letter of allotment he shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of the allotment letter.

(2) If an officer occupying a lower type residence is allotted or offered a residence of the type for which he is eligible under rule 4 or for which he has applied under clause (iii) of sub-rule (i) of rule 6, he may, on refusal of the said allotment or offer of allotment, be permitted to continue in the previously allotted residence on the following conditions, namely :—

(a) that such an officer shall not be eligible for another allotment for a period of six months from the date of the allotment letter for the higher class accommodation ;

(b) while retaining the existing residence he shall be charged the same licence fee which he would have had to pay in respect of the residence so allotted or offered or the licence fee payable in respect of the residence already in his occupation, whichever is higher.

8. Period for which allotment subsists and the concessional period for further retention.—(1) An Allotment shall be effective from the date of which it is accepted by the officer and shall continue in force until :—

(a) the expiry of the concessional period permissible under sub-rule (2) after the officer ceases to be on duty in an eligible office at that station ;

(b) it is cancelled by the Allotting Authority or is deemed to have been cancelled under any provision in these rules ;

(c) it is surrendered by the officer ; or

(d) the officer ceases to occupy the residence.

(2) A residence allotted to an officer any subject to sub-rule (3) be retained on the happening of any of the events specified in column 1 of the Table below for the period specified in the corresponding entry in cl. 2 thereof, provided that the residence is required for the bona-fide use of the officer or members of his family.

TABLE

Events	Permissible period for retention of the residence.
1	2
(i) Resignation, dismissal or removal from service, termination of service or unauthorised absence without permission.	1 month.
(ii) Retirement or terminal leave where leave preparatory to retirement referred to in (ix) below has not been availed of	2 months.
(iii) Death of the allottee	4 months.
(iv) Transfer to another military station provided Govt. accommodation is not available at the new duty station and non-availability certificate is provided within 45 days from the date of transfer.	2 months.
(v) Transfer to an ineligible office at the same station.	2 months.
(vi) On proceeding on foreign service in India.	2 months.
(vii) Temporary transfer in India or transfer to a place outside India.	3 months.
(viii) Leave (other than leave preparatory to retirement, refused leave, terminal leave, medical leave or study leave).	For the period of leave but not exceeding 4 months.
(ix) Leave preparatory to retirement or refused leave granted under rule 38 of the Central Civil Service (Leave) Rule-1972.	For the full period of leave on full average pay subject to a maximum of 4 months inclusive of the period permissible in the case of retirement.
(x) Study leave or deputation outside India.	For the period of leave but not exceeding 6 months.
(ix) Study leave in India.	For the period of leave but not exceeding 6 months.
(xii) Leave on medical grounds.	Full period of leave, but not exceeding 8 months.
(xiii) On proceeding on Course of instructions/training.	3 months.
(xiv) Transfer during the middle the academic year of their children.	Upto-six months beyond the permissible period of 2 months or till the end of the School or college academic year of their children, *Whichever is earlier, on payment of double the assessed rent.*

Explanation-I.—Where an officer on transfer or foreign service in India is sanctioned leave and avails of it before joining duty at the new office, he may be permitted to retain the residence for the period mentioned against item (iv), (v), (vi) and (vii) or for the period of leave, subject to a maximum period of 2 months.

Explanation II.—Where an order of transfer or foreign service in India is issued to an officer while he is already on leave, the period permissible under explanation-I shall count from the date of issue of such order.

(3) Where a residence is retained under sub-rule (2), the allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of the admissible concessional periods unless immediately on the expiry thereof the officer resumes duty in an eligible office at the same station.

(4) Where an officer is on medical leave without pay and allowances, he may retain his residence by virtue of the concession under item (xii) of the Table below sub-rule (2), provided he remits the licence fee for such residence in cash every month and where he fails to remit such licence fee for more than two months, the allotment shall stand cancelled.

(5) An officer who has retained the residence by virtue of the concession under item (i) or item (ii) of the table below sub-rule (2) shall, on re-employment in an eligible office within the period specified in the said Table, be entitled to retain that residence and he shall also be eligible for any further allotment of residence under these rules :

Provided that if the emoluments of the officer on such re-employment do not entitle him to the type of residence occupied by him shall be allotted a lower type of residence.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) or sub-rule (3) or sub-rule (5), when an officer is dismissed or removed from service or when his services have terminated and the Head of the Establishment/Unit in which such officer was employed immediately before such dismissal, removal or termination is satisfied that it is necessary or expedient in the public interest to do so he may require the Allotting Authority to cancel the allotment of the residence made to such officer either forthwith or with effect from such date prior to the expiry of the period of one month referred to in item (i) of the Table below sub-rule (2) as he may specify and the Allotting Authority shall act accordingly.

9. Provisions relating to licence fee.—(1) Where an allotment of accommodation or alternative accommodation has been accepted, the liability for licence fee shall commence from the date of occupation or the eighth day from the date of receipt of the allotment, whichever is earlier.

(2) An officer who, after acceptance, fails to take possession of that accommodation within eight days from the date of receipt of the allotment letter shall be charged licence fee from such date upto a period of one month or upto the date of re-allotment of that particular accommodation, whichever is earlier.

(3) Where an officer, who is in occupation of a residence, is allotted another residence and he occupies the new residence, the allotment of the former residence shall be deemed to be cancelled from the date of occupation of the new residence. He may, however, retain the former residence without payment of licence fee for that day and the subsequent day for shifting.

10. Personal liability of the officer for payment of licence fee till the residence is vacated and furnishing of surety by temporary officers.—(1) The officer to whom a residence has been allotted shall be personally liable for the licence for thereof and for any damage beyond fair wear and tear caused thereto or to the furniture, fixtures or fittings or services provided therein by Government during the period for which the residence has been and remains allotted to him, or where the allotment has been cancelled under any of the provisons in these rules, until the residence along with the out-houses appurtenant thereto, if any, have been vacated and full vacant possesson thereof has been restored to Government.

(2) Where the officer to whom a residence has been allotted is neither a permanent nor a quasi-permanent Government

servant, he shall execute a security bond in the form prescribed in this behalf by the Government with a surety who shall be a permanent Government servant serving under the Government for due payment of licence fee and other charges due from him in respect of such residence and services and any other residence provided in lieu.

(3) If the surety ceases to be in Government service or becomes insolvent or withdraws his guarantee or ceases to be available for any other reason, the officer shall furnish a fresh bond executed by another surety within thirty days from the date of his acquiring knowledge of such event or fact ; and if he fails to do so, the allotment of the residence to him shall, unless otherwise decided by the Allotting Authority be deemed to have been cancelled with effect from the date of that event.

11. Surrender of an allotment and period of notice.—(1) An officer may at any time surrender an allotment by giving intimation so as to reach the Allotting Authority at least ten days before the date of vacation of the residence. The allotment of the residence shall be deemed to be cancelled with effect from the eleventh day after the day on which the letter is received by the Allotting Authority or the date specified in the letter, whichever is later. If he fails to give due notice he shall be responsible for payment of licence fee for ten days or the number of days by which the notice given by him falls short of ten days, provided that the Allotting Authority may accept a notice for a short period.

(2) An officer who surrenders the residence under sub-rule (1) shall not be considered again for allotment of Government accommodation at the same station for a period of one year from the date of such surrender.

12. Change of residence.—(1) An officer to whom a residence has been allotted under these rules may apply for a change to another residence of the same type or a residence of the type to which he is eligible under rule 4, whichever is lower, not earlier than a period of 6 months from the initial date of occupation of accommodation. Not more than one change shall be allowed in respect of one type of residence allotted to the officer.

(2) All applications for change made in the form prescribed by the Allotting Authority and received upto the 19th day of a calendar month shall be included in the waiting list in the succeedig month. For purposes of this rule the officers whose names are included in the waiting list in an earlier month shall be senior en-bloc to those whose names are included in the list in subsequent months. The inter se seniority of the officers included in the list in any particular month shall be determined in the order of their priority dates.

(3) Changes shall be offered in order of seniority determined in accordance with sub-rule (2) and having regard to the officers' preferences as far as possible.

(4) If an officer fails to accept a change of residence offered to him within five days of the issue of such offer or allotment, he shall not be considered again for a change of residence of that type.

(5) An officer who, after accepting a change of residence fails to take possession of the same shall be charged licence fee for such residence at market rate as chargeable from unauthorised occupants in addition to the normal licence fee that is assessed rent for the residence already in his possession, the allotment of which shall continue to subsist, or 10 per cent of pay in the case of officers drawing Rs. 300 per month and above or 7½ per cent of pay in the case of officers drawing less than Rs. 300 per month, as the case may be, whichever is less.

13. Change of residence in the event of death of a member of the family.—Notwithstanding anything contained in rule 12, an officer may be allowed a change of residence on the death of any member of his family if he applies for a change within three months of such occurrence, provided that the change will be given in the same type of residence and on the same floor as the residence already allotted to the officer.

14. Mutual exchange of residences.—Officers to whom residence of the same type have been allotted under these rules may apply for permission to mutually exchange their residences. Permission for mutual exchanges may be granted if both the officers are reasonably expected to be on duty at the same station and to reside in their mutually exchanged residences for at least six months from the date of approval of such exchanges.

15. Maintenance of residence.—The officer to whom a residence has been allotted shall maintain the residence and premises in a clean condition to the satisfaction of the Military Enginering Service and the Cantonment Board or any other civic body, as the case may be. Such officer shall not grow any tree, shrubs or plants contrary to the instructions issued by the said authorities, nor cut or lop off any existing tree or shrub in any garden, courtyard or compound attached to the residence save with the prior permission in writing of the authorities aforesaid. Trees, plantation or vegetation, grown in contravention of this rule may be caused to be removed by the Allotting Authority at the risk and cost of the officer concerned. For keeping cattle, dogs and poultry in the premises of the Government accommodation, the officer should take prior sanction of the Allotting Authority and of the local civic body.

16. Subletting and sharing of residences.—(1) No officer shall share the residence allotted to him or any of the out-houses, garages and stables appurtenant thereto except with the employees of the Government eligible for allotment of residences. The servants' quarters, out-houses, garages and stables may be used only for the bona-fide purposes including residence of the servants of the allottee or for such other purposes as may be permitted by the allotting Authority.

(2) No officer shall sublet the whole of his residence :

Provided that an officer proceeding on leave may accommodate in the residence any other officer eligible to share accommodation under sub-rule (1) above as a caretaker for the period of leave but not exceeding six months.

(3) Any officer who shares or sublets his residence shall do so at his own risk and responsibility and shall remain personally responsible for any licence fee payable in respect of the residence and for the damage caused to the residence or its precincts or grounds or services provided therein by Government beyond fair wear and tear.

17. Consequences of breach of rules and conditions.—(1) If an officer to whom a residence has been allotted unauthorisedly sublets the residence or charges rent from the sharer at a rate which the Allotting Authority considers excessive or erects any uauthorised structure in any part of the residence or uses the residence or any portion thereof for any purpose other than that for which it is meant or tempers with the electric or water connection or commits any other breach of these rules or of the terms and conditions of the allotment or uses the residence or premises to be used for any purpose which the Allotting Authority considers to be improper or conducts himself in a manner which in his opinion is prejudicial to the maintenance of harmonious relations with the neighbours or has knowingly furnished incorrect information in any application or written statement with a view to securing the allotment, the Allotting Authority may, without prejudice to any other disciplinary action that may be taken against him, cancel the allotment of the residence.

Explanation.—In this sub-rule the expression "officer" includes, unless the context otherwise requires, a member of his family and any person claiming through the officer.

(2) If any officer sublets a residence allotted to him or any portion thereof or any of the out-houses, garages or stables appurtenant thereto, in contravention of these rules, he may, without prejudice to any other action that may be taken against him, be charged enhanced licence fee not exceeding four times the standard licence fee. The quantum of licence fee to be recovered and the period for which the same may be recovered in each case shall be decided by the Allotting Authority on merits. In addition, the officer may be debarred from sharing the residence for a specified period in future as may be decided by the Allotting Authority.

(3) Where action to cancel the allotment is taken on account of unauthorised subletting of the premises by the allottee, a period of sixty days shall be allowed to the allottees and any other person residing with him therein to vacate the premises. The allotment shall be cancelled with effect from the date of vacation of the permises or expiry of the period of sixty days from the date of the orders for the cancellation of the allotment, whichever is earlier.

(4) Where the allotment of a residence is cancelled for conduct prejudicial to the maintenance of harmonious relations with neighbours, the officer at the discretion of the Allotting Authority may be allotted another residence in the same class at any other place.

(5) The Alloting Authority shall be competent to take all or any of the actions under sub-rule (1) to (4) of this rule and also to declare the officer, who commits a breach of the rules and instructions issued to him, to be ineligible for allotment of residential accommodation for a period not exceeding three years.

18. Overstayal in residence after cancellation of Allotment.—Where, after an allotment has been cancelled or is deemed to be cancelled under any provision contained in these rules, the residence remains or has remained in occupation of the officer to whom it was allotted or of any person claiming through him, such officer shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence, services, furniture and garden charges, equal to the market licence fee as may be determined by Government from time to time. In addition, the allottee shall be liable to eviction under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupant) Act, 1971 (40 of 1971).

19. Continuance of Allotments made prior to the issue of these rules.—Any valid allotment of the residence which is subsisting immediately before the commencement of these rules under the rules then in force shall be deemed to be an allotment duly made under these rules notwithstanding that the officer to whom it has been made is not entitled to a residence of that type under rule 4 and all the preceding provisions of these rules shall apply in relation to that allotment and that officer accordingly.

20. Allotment to certain relations in certain cases.—(1) When a Government servant who has been allotted Government accommodation retires from service or dies while in service, his son, daughter, wife, husband or father be allotted Government accommodation on an ad-hoc basis provided that the said relation is Government servant eligible for Government accommodation and had been sharing accommodation with the retiring or deceased officer for at least six months before the date of retirement or death.

(2) These same residence may be regularised in the name of the relation if he or she is eligible for a residence of that type or a higher type. In other cases the said relation may be allotted a residence of his or her entitled type if available at the time or failing that a type next below, if acceptable to the allottee.

(3) Where the accommodation has not been specifically built for Defence civilians, the allotment of accommodation to the son or daughter or wife or husband or father of the deceased Government servant shall be subject to the condition that it is surplus to the requirement of entitled Service personnel.

21. Interpretation of rules.—If any question arises as to the interpretation of these rules it shall be decided by the Government.

22. Relaxation of rules.—The Government may, for reasons to be recorded in writing, relax all or any of the provisions of these rules in the case of any officer or residence or class of officers or type of residences.

23. Delegation of powers or functions.—The Government may delegate any or all the powers conferred upon it by these rules to any officer under its control, subject to such conditions as it may deem fit to impose.

[File No. F. 10/48/77/D(Qtg]

P. S. RATNAM, Dy. Secy.(W)

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1978

का० नि० आ० 309:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, कानपुर की सदस्यता में मेजर एच०एस० चीमा के त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है।

[फाइल सं० 19/36/सी/एल एण्ड सी/78/3433/सी/डी (छावनी)]

New Delhi, the 18th October, 1978

S.R.O. 309.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Kanpur by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Major H. S. Cheema.

[File No. 19/36/C/L&C/78/3433-C/D (Cantts)]

का० नि० आ० 310:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि मेजर विजय सिंह को आफिसर कमांडिंग स्टेशन द्वारा मेजर एच०एस० चीमा के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड, कानपुर के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है।

[फाइल संख्या 19/36/सी/एल एण्ड सी/78/3433/1/सी/डी (छावनी)]

S.R.O. 310.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Major Vijai Singh has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board Kanpur vice Major H. S. Cheema who has resigned.

[File No. 19/36/C/L&C/78/3433/1/C/D (Cantts)]

का० नि० आ० 311:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, रानीखेत की सदस्यता में मेजर एच०एस० सिंघा के त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है।

[फाइल संख्या 19/53/सी/एल एण्ड सी/78/3432/सी/डी (छावनी)]

S.R.O. 311.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in membership of the Cantonment Board Ranikhet by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Major H. S. Singha.

[File No. 19/53/C/L&C/78/3432-C/D (Cantts.)]

का० नि० आ० 312:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि मेजर आई०डी० खोर को आफिसर कमांडिंग स्टेशन द्वारा मेजर एच०एस० सिंघा के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड, रानीखेत के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है।

[फाइल संख्या 19/53/सी/एल एण्ड सी/78/3432/1/सी/डी (छावनी)]

S.R.O. 312.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Major I. D. Khore has been

nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board Ranikhet vice Major H. S. Singha who has resigned.

[File No. 19/53/C/L&C/78/3432/1-C/D (Cantts.)]

का० नि० आ० 313:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, विलिंगडन की सदस्यता में मेजर के० पद्मानभन के त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है।

[फाइल संख्या 19/28/सी/एल एण्ड सी/65/3431/सी/डी (छावनी)]

S.R.O. 313.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Wellington by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Major K. Padmanabhan.

[File No. 19/28/C/L&C/65/3431-C/D (Cantts.)]

का० नि० आ० 314:—छावनी अधिनियम 1924 (1924 की 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि कप्तान जानकी वल्लभायन को आफिसर कमांडिंग स्टेशन द्वारा मेजर के० पद्मानभन के जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनीय बोर्ड, विलिंगडन के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है।

[फाइल संख्या 19/28/सी/एल एण्ड सी/65/3431/1/सी/डी (छावनी)]

प्रदीप भट्टाचार्य, अवर सचिव

S.R.O. 314.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Capt. Janaki Vallabhayyan has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board Wellington vice Major K. Padmanabhan who has resigned.

[File No. 19/28/C/L&C/65/3431/1/C/D (Cantts.)]

P. BHATTACHARYA, Under Secy.

712 GI/78—3

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978